मुख्य विशेषताएं

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधि वित्त प्रदान करने की एक शीर्ष संस्था थी। 1 अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसकी जगह कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत आईडीबीआई बैंक, एक पंजीकृत इकाई के रूप में आस्तित्व में आई थी। मार्च 2004 तक, आईडीबीआई में नान परफार्मिंग एसेट (एनपीए) जमा हो गए जो लगभग ₹ 9000 करोड़ तक के थे।

(पैराग्राफ 1.1)

देय राशि की वसूली के दृष्टिगत आईडीबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट के हस्तांतरण द्वारा अधिग्रहण और इन परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए निपटानकर्ता[1] के रूप में सरकार ने एक ट्रस्ट के रूप में विशेष उद्देश्य माध्यम का गठन करने का निर्णय लिया। उसने आईडीबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट के लिए "स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइज़ेशन फंड" (एसएएसएफ) का गठन किया और सितम्बर 2004 में एसएएसएफ ट्रस्ट डीड का कार्यान्वयन किया था।

(पैराग्राफ 1.1)

सरकार ने ट्रस्ट को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बजट में ₹ 9000 करोड़ उपलब्ध करवाए थे। इन परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण में भारत सरकार द्वारा प्रभावी लेन-देन में कोई तत्काल नकद व्यय निहित नहीं था। जीओआई ने ट्रस्ट को ₹ 9000 करोड़ का ऋण मुहैया किया। जिसके बदले में 20 वर्षों में प्रतिदेय सरकार की शून्य ब्याज विशेष प्रतिभूतियों में पैसा निवेश किया गया। ट्रस्ट ने आईडीबीआई (या उसके उत्तराधिकारी आईडीबीआई बैंक) को ₹ 9000 करोड़ तक की यह विशेष प्रतिभूतियाँ सौंपी और बदले में 636

[1] वह व्यक्ति जो ट्रस्ट निर्मित करता है निपटान कर्ता होता है।

एनपीए/स्ट्रैस्ड ऋण परिसम्पत्तियां जिनका बकाया शुद्ध ऋण (एनएलओ)[2] ₹ 9,004 करोड था।.

(पैराग्राफ 1.1)

ट्रस्ट को एनपीएज के हस्तांतरण की व्यवस्था आईडीबीआई की नॉन पफोर्मिंग परिसम्पत्तियों की लागत के बराबर था। कार्य की मौजूदा योजना के अनुसार भारत सरकार को 2024 में वसूल नही की गई शेष परिसम्पत्तियों के मूल्य तक विशेष प्रतिभूतियों को छोड़ना होगा। इसके बावजूद व्यवस्था में कोई तत्काल नकद व्यय शामिल नहीं था, जब प्रतिभूतियों को छोडा़ जाता है तब यह उक्त के लिए देयता का सृजन करती है। अत: भारत सरकार ने प्रभावी रूप से भविष्य की देयता सृजित कर आईडीबीआई के एनपीएज का भार उठाया है।

(पैराग्राफ 2.1)

ट्रस्ट डीड के खण्ड 17(ए) में कहा गया है कि "निधियों के लेखों का भारत के सीएजी द्वारा अनुरक्षण और लेखापरीक्षा की जाएगी"। मंत्रालय ने ट्रस्ट के आरंभ से लगभग आठ वर्षों से मई 2013 में एसएएसएफ की लेखापरीक्षा सीएजी को अंतिम रूप से सौंपा।

(पैराग्राफ 1.2)

ट्रस्ट ने अब तक ₹ 4,071 करोड़ की वसूली की और मार्च 2013 तक भारत सरकार को ₹ 4,059 करोड़ प्रेषित किए। ट्रस्ट ने प्रारंभिक अवधि अर्थात 2005-06 और 2007-08 के बीच ₹ 2407.79 करोड़ (59 प्रतिशत) की महत्पवूर्ण वसूली की थी। इसके बाद वसूल की गई राशि में तेजी से गिरावट आई जिससे पता चलता है कि अब छोड़े गए मामले अधिक जटिल और मुश्किल हैं।

(पैराग्राफ 1.3)

सितम्बर 2004 और मई 2005 के बीच छ: स्थानांतर/ समनुदेशन/ गिरवी करार का हस्तांतरण के निष्पादन द्वारा आईडीबीआई ने एसएएसएफ को ₹ 9004

---

[2] सकल बकाया ऋण (जीएलओ) प्रावधान से पूर्व एक ऋण है और बकाया शुद्ध ऋण (एनएलओ) प्रावधान घटा जीएलओ है।

करोड़ के कुल ऋण बकाया सहित 636 स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियॉ प्रदान की। तथापि, आईडीबी बैंक ने दूसरी स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के लिए प्रतिवर्तन मामलों के विनिमय हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए (फरवरी2006/अप्रैल 2006)। मामलों का विनिमय अनुमति योग्य नहीं था क्योंकि एसएएसएफ के गठन का उद्देश्य केवल 31 मार्च 2004 तक मौजूद एनपीएज़/सम्भावित एनपीएज को अधिकार में लेना था। इस प्रकार, कोई अनुवर्ती विनिमय अनुमत नहीं था। भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक को सूचना दी (मई 2006) कि मौजूदा स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाईजेशन फंड एक विशेष उद्देश्य अर्थात उस समय के लिए स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों हेतु बनाया गया था और एसएएसएफ के कार्यक्षेत्र और जीवन को बढाना अनुपयुक्त होगा। इसके बावजूद, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया (जून 2006) और ट्रस्टीज बोर्ड ने ₹ 1,335.29 करोड़ के एनएलओ सहित तीन नए मामलों के लिए ₹1,522.29 के एनएलओ एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 603.42 करोड़), एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 528.46 करोड़) और श्री विष्णुप्रिय इन्डस्ट्रीज लि. (एनएलओ ₹ 203.41 करोड़) सहित आठ प्रतिवृति मामलों के विनिमय का अनुमोदन (24 जून 2006) किया। हस्तांतरण करार मामलों के विनिमय के लिए आईडीबीआई बैंक और एसएएसएफ के बीच कार्यान्वित (28 जून 2006) किया गया था।

(पैराग्राफ 3.1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006 में आईडीबीआई को हस्तांतरित किए गए आठ मामलों में ₹ 1,522.29 करोड़ के कुल एनएलओ के प्रति ₹ 1,659 करोड़ की वसूली की गई थी। दूसरी तरफ ट्रस्ट तीन परिवर्तित मामले से केवल ₹ 360.32 करोड़ वसूली कर सका। इस प्रकार इस अस्वीकार्य विनिमय, जोकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नही था, ने आईडीबीआई को लाभ पहुॅचाया। आईडीबीआई को हस्तांतरित परिसम्पतियों पर वसूली एनएलओ से भी अधिक थी। विनिमय में ट्रस्ट द्वारा प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों पर वसूली न्यूनतम थी।

(पैराग्राफ 3.1)

₹ 2933.12 करोड़ के कुल एनएलओ के 319 निपटाए गए मामलों में से 150 को एनएलओ से कम की राशि पर निपटाया गया था। कम वसूली ₹ 915.17 करोड़ के बराबर थी। इसी प्रकार, ₹ 2,878.29 करोड़ के कुल एनएलओ के 101 समाधित मामलों में से 60 मामलों में वसूली ₹ 2,650.30 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 828.94 थी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक ₹ 1,821.36 करोड़ की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 4.1)

असमाधित श्रेणी में ₹ 625.32 करोड़ के एनएलओ के 79 मामलों में ट्रस्ट कोई वसूली नहीं कर सका और शेष 132 मामलों से यह ₹ 2,380.37 करोड़ के एनएलओ के प्रति केवल ₹ 396.75 करोड़ की वसूली कर सका था।

(पैराग्राफ 4.1)

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि ₹ 25 करोड़ से अधिक के एनएलओ के 52 मामलों में से 19 मामले निपटाए गए थे, नौ मामले समाधित थे और 24 मामले असमाधित रहे। इसके अतिरिक्त, 319 निपटाए गए मामलों में से 300 मामलें ₹ 25 करोड़ से कम एनएलओ के थे जिन्होने दर्शाया कि ट्रस्ट छोटे मामलों को निपटाने में सक्षम था और बडे मामलों की भारी संख्या असमाधित रही।

(पैराग्राफ 4.1)

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया की गारंटर की सम्पति तथा आयकर के विवरण के अभाव में ऋण देने के समय पर व्यक्तिगत प्रतिभूतियां प्राप्त करना एक निरर्थक प्रक्रिया बन गई है। पीजी का प्रयोग करके केवल ₹ 4.99 करोड़ ही वसूल किये जा सके। अत: वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए पीजी का महत्वपूर्ण साधन प्रभावहीन रहा था।

(पैराग्राफ 4.3)

निपटान किए गए मामलों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मीडईस्ट इन्टीग्रेटिड, कृष्णा फिलामेन्टस, पशुपति स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स, आई.जी. पेट्रोकेमिकल्स एवं श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड जैसे बड़े एनएलओ खातों पर कम

वसूली (एनएलओ से कम) हुई। इन फर्मो के कुछ प्रमोटरों की व्यक्तिगत प्रतिभूतियां ट्रस्ट के पास उपलब्ध थी। तथापि, ट्रस्ट ने निपटान राशि तय करने से पहले प्रमोटरों की निवल सम्पति/आय को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में, प्रमोटरों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे बिना एनएलओ से कम ऐसे निपटान प्रमोटरों के हित में कहे जा सकते हैं।

(पैराग्राफ 5.3)

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 15 सुलझाए गए मामलों में से 10 मामलों में निपटान राशि/वसूली गई राशि ₹ 1,590.49 करोड़ की कुल कम वसूली सहित एनएलओ धनराशि से कम थी।

(पैराग्राफ 6.2)

स्टील सेक्टर कंपनियां बड़ी चूककर्ता हैं और ट्रस्ट को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाई हैं। उदाहरणस्वरूप, ऊषा ग्रुप के श्री विनय राय एवं श्री अनिल राय द्वारा प्रमोटेड ऊषा इस्पात लिमिटेड और मालविका स्टील लिमिटेड के संबंध में ₹ 594.54 करोड़ और ₹ 321.80 करोड़ के एनएलओ के प्रति क्रमश: केवल ₹ 41.78 करोड़ (7.03 प्रतिशत) और ₹ 48.07 करोड़ (14.94 प्रतिशत) ही है। कई उधारकर्ता कम्पनियों के प्रमोटरों से व्यक्तिगत गारंटी होने के बावजूद भी ट्रस्ट ने प्रमोटरों के निवल मूल्य का पता लगाने की कोशिश नहीं की ताकि इष्टवम राशि वसूली जा सके।

(पैराग्राफ 6.2)

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए चयनित 39 अनसुलझे मामलों में से तीन मामलों में (त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, एजी फूड्स लिमिटेड और डायनामिक लॉजिस्टिक लिमिटेड) ट्रस्ट ने ₹ 47.28 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 58.21 करोड़ की वसूली की। शेष 36 मामलों में ₹ 1,888.69 करोड़ के एनएलओ के प्रति ट्रस्ट केवल ₹ 150.54 करोड़ की ही वसूली कर सका.

(पैराग्राफ 7.2)

मामलों की कठिन प्रकृति को देखते हुए (कुछ बीआईएफआर को भेजे गए है), भारत सरकार के ऋण के पुन: भुगतान के लिए अंतिम वसूली पर्याप्त नहीं होगी। तथापि, भारत सरकार द्वारा 2024 तक आईडीबीआई को विशेष प्रतिभूतियों को पूर्ण रूप से छुड़वा कर भुगतान करना होगा। इसलिए अपरिहार्य वित्तीय खर्च की इन विशेष प्रतिभूतियों के भाग को छुड़वाने के लिए भारत सरकार की सम्भावना स्वाभाविक है। अंतिम विश्लेषण के रूप में यह निजी कारपोरेट तथा उनके प्रमोटरों जिन्होंने करदाताओं की लागत पर भारी मात्रा में ऋण लिया था, को लाभ देगा।

(पैराग्राफ 9.6)